रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04092025-265958
CG-DL-E-04092025-265958

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 597] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 2, 2025/भाद्र 11, 1947
No. 597] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 2, 2025/BHADRA 11, 1947

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2025

एफ.सं. टी-21032/1/2020-एनआईसी (ङ).—भाण्डागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 35 की उपधारा (2) के खण्ड (थ) के साथ पठित भाण्डागारण (विकास और विनियमन) भाण्डागार पंजीकरण नियम 2017 के नियम 4 के उपनियम (1क) और नियम 25 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण एतद्द्वारा निर्धारित करता है कि नीचे दी गई तालिकाओं में निर्दिष्ट कृषि और गैर-कृषि (धातुओं के अलावा) वस्तुओं (पहले से अधिसूचित वस्तुओं के अतिरिक्त) को किसी पंजीकृत भाण्डागार में भंडारित किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका 1 – कृषि वस्तुएँ

क्र.सं.	वस्तु का नाम
(1)	(2)
1	कुट्टु (बकव्हीट)
2	खेसारी दाल
3	तुलसी का सूखा पत्ता

4	गेहूं का आटा
5	कुसुम बीज
6	पोंगाम के बीज
7	बाँस
8	चिरौंजी
9	छिलके सहित नारियल
10	जूट के बीज
11	मखाना बीज
12	कच्चा जूट
13	रीठा
14	सफेद मूसली
15	रेशम कोया
16	अखरोट की गिरी
17	मेथी के सूखे पत्ते
18	बेसन
19	चना आटा (चना सत्तू)
20	सिंघाड़ा
21	सिंघाड़े का आटा
22	ग्वार कोरमा
23	चौलाई बीज
24	पनीर
25	चिलगोजा नट्स
26	मक्के का आटा
27	खांडसारी
28	वनस्पति घी
29	आयोडीन युक्त नमक (वैक्यूम वाष्पित और परिष्कृत आयोडीन युक्त नमक सहित)
30	इमली पाउडर
31	वनस्पति
32	सफेद मिर्च (साबुत)
33	सफेद मिर्च (पाउडर)
34	संपूर्ण दूध पाउडर
35	अंबाडी बीज
36	बूरा

37	अरंडी के बीज का तेल केक
38	कोको बीन्स
39	नारियल तेल केक
40	खाद्य टैपिओका चिप्स
41	विकृत मूंगफली तेल केक
42	लेमन ग्रास ऑयल
43	विलायक निकाला अलसी तेल केक (भोजन)
44	अलसी के तेल की खली
45	मैदा
46	मक्का चोकर
47	रवा या सूजी
48	चावल की भूसी
49	तिल का तेल केक
50	टैपिओका स्टार्च
51	वेटिवर तेल (खस तेल)

तालिका 2 – गैर-कृषि वस्तुएं (धातुओं के अलावा)

क्र.सं.	वस्तु का नाम
(1)	(2)
1	कच्चा अस्थि चूर्ण
2	भाँप से पका अस्थि चूर्ण
3	कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट
4	पोटेशियम क्लोराइड
5	पोटेशियम सल्फेट उर्वरक ग्रेड
6	सिंगल सुपर फॉस्फेट
7	पशु वसा
8	ट्रिपल सुपर फॉस्फेट
9	यूरिया
10	ऊन

2. दोनों तालिकाओं में निर्दिष्ट वस्तुएं एगमार्क या भारतीय मानक ब्यूरो या भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण या राष्ट्रीय कृषि बाजार (ईएनएएम) के गुणात्मक विनिर्देशों या मानकों का अनुपालन करेंगी:

बशर्ते कि यदि इन वस्तुओं के लिए एगमार्क या भारतीय मानक ब्यूरो या भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण या राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) के मानक मौजूद नहीं हैं, तो केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या सरकारी निकायों द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानक लागू होंगे।

3. रासायनिक या संबद्ध प्रयोगशाला विश्लेषण की आवश्यकता वाली वस्तुओं के लिए, सभी एगमार्क प्रयोगशालाएं, राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रत्यायन बोर्ड द्वारा अधिसूचित सभी मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं और भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की प्रयोगशालाओं और उनके द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य प्रयोगशालाओं को प्रयोगशाला परीक्षण के लिए अधिकृत किया गया है।

अनिरुद्ध कुमार, संयुक्त सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./330/2025-26]

WAREHOUSING DEVELOPMENT AND REGULATORY AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2025

F.No. T-21032/1/2020-NIC (E).—ln exercise of the powers conferred by clause (p) of sub-section (2) of section 35 of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (37 of 2007) read with sub- rule (1A) of rule 4 and clause (a) of rule 25 of the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules 2017, the Warehousing Development and Regulatory Authority hereby determines that the agricultural and non-agricultural (other than metals) commodities specified in the tables below (in addition to the previously notified commodities) shall be stored in a registered warehouse, namely:-

Table 1 – Agricultural Commodities

S.No.	Name of the Commodity
(1)	(2)
1	Buck wheat
2	Khesari Dal
3	Tulsi leaf dried
4	Wheat flour
5	Kusum seed
6	Pongam Seeds
7	Bamboo
8	Chironji
9	Coconut with husk
10	Jute seeds
11	Makhana Seed
12	Raw Jute
13	Soapnut (Reetha)
14	White Musli
15	Silk cocoon

16	Walnut kernel
17	Fenugreek Leaves Dried
18	Chickpea flour (Besan)
19	Roasted bengal gram flour(channa sattu)
20	Water chestnut
21	Water chestnut flour
22	Guar Korma
23	Amaranthus Seed
24	Cheese
25	Chilgoza Nuts
26	Corn Flour
27	Khandsari
28	Margarine
29	Iodized Salt (including Vacuum Evaporated and Refined Iodized Salt)
30	Tamarind Powder
31	Vanaspati
32	White Pepper (Whole)
33	White Pepper (Powder)
34	Whole Milk Powder
35	Ambadi Seed
36	Bura
37	Castor Seed Oil Cake
38	Cocoa Beans
39	Coconut Oil Cake
40	Edible Tapioca Chips
41	Decorticated ground nut oil cake
42	Lemon Grass Oil
43	Solvent extracted Linseed oil cake (meal)
44	Linseed oil cake
45	Maida
46	Maize Bran
47	Rava or Suji
48	Rice Bran
49	Sesamum (Til) Oil Cake
50	Tapioca Starch
51	Vetiver Oil (Khus Oil)

Table 2 – Non-Agricultural Commodities (other than metals)

S.No.	Name of the Commodity
(1)	(2)
1	Bone Meal Raw
2	Bone Meal Steamed
3	Calcium Ammonium Nitrate
4	Potassium Chloride
5	Potassium Sulphate fertilizer grade
6	Single super phosphate
7	Animal tallow
8	Triple Super Phosphate
9	Urea
10	Wool

2. The commodities specified in both the tables shall comply with the qualitative specifications or standards of the AGMARK or Bureau of Indian Standards or Food Safety and Standards Authority of India or National Agriculture Market (eNAM):

Provided that in case, standards of AGMARK or Bureau of Indian Standards or Food Safety and Standards Authority of India or National Agriculture Market (eNAM) do not exist for these commodities, quality standards laid down by the Central Government or State Governments or Governmental bodies shall be applicable.

3. For the commodities requiring chemical or allied laboratory analysis, all AGMARK laboratories, all accredited laboratories notified by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories and laboratories recognized by the Bureau of Indian Standards, Food Safety and Standards Authority of India, Central Government or the State Government laboratories and other laboratories recognised by them are authorised for laboratory testing.

ANIRUDH KUMAR, Jt. Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./330/2025-26]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.09.04 12:12:18 +05'30'